3296

[redacted]

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated Shimla-171002, the 6 -03-2021

Order

Sub:- Diversion of 1.3155 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Chintpurni to Amlehar (Kms. 0/000 to 12/000) (SH: Forest land poration from Kms. 5/000 to 7/125) in Tehsil Amb, Distt. Una, H.P., within the jurisdiction of Una Forest Division, Distt. Una, H.P. (online no. FP/HP/ROAD/18410/2016).

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 08बी / एच.पी. / 06 / 93 / 2017 / एफ.सी. / 927 दिनांक 31 / 07 / 2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.3155** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Compartment No. 53 A/2/NW R.II Lohar of village Sidh Chaler, Tehsil Amb, District Una में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 3.00. है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
4. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी।
8. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रिय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप Plantation की जाएगी। S/FCA

APCCF(FCA) 9/3

Contnd. P/2

पावती सं 5083
दिनांक 10/03/21

PCCF(HoFF) 8/3/21

9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये Layout Plan में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 161 trees से अधिक न हो।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर.सी.सी. स्तंभ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
12. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
13. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
14. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

आदेश अनुसार,

आर.डी. धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated, Shimla-171001 the, 6 -03-2021

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum-APCCF(FCA), O/o HPFD, HQ, Talland, Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Una, Distt. Una, Himachal Pradesh.
6. DFO, Una Forest Division, Distt., Una, H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Una,, Distt. Una, HP.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 6-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

****

2981

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
***

No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002, the 6 March, 2021

ORDER

Subject:- Diversion of 5.5942 ha of forest land for the construction of 2.500 MW R&D Hybrid Power Project (2 MW Solar PV+0.5 MW Wind with 1 MW Battery Storage) at Kaza in favour of HP State Electricity Board Ltd. Bhaba Nagar, District Kinnaur, within the jurisdiction of Wild Life Spiti Division, District Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh.

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्याः 8बी/एच.पी.बी./07/03/2016/1769 दिनांक 07.11.2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 5.5942 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 5.5942 है0 Talmehra/Shamlat Panjora H43 E/2 Village Tihra Khas, Tehsil Bangana, District Una पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा तथा इस भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत छः माह के अन्दर आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। नोडल अधिकारी को अधिसूचना की एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

पावती सं 5085
दिनांक 10/03/21

SIFCA

APCCF(FCA)
9/3

PCCF(HOFF)
8/3/21

4. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढौतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉक के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।
8. निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
10. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।
13. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
14. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

15. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।
16. Lease Deed shall be executed by the user agency with the Collector-cum-Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

(आर.डी. धीमान)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 6 March, 2021

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Kinnaur, District Kinnaur, Himachal Pradesh.
6. The Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti, District Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh
7. Divisional Forest Officer, Wild Life Spiti Forest Division, District Lahaul & Spiti, H.P.
8. The Executive Engineer, HPSEB Ltd. Lahaul & Spiti, District Lahaul & Spiti, H.P.
9. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 6-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621874

❖❖❖❖❖

3497

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-2/2021   Dated Shimla-171002, the   6 -03-2021

Order

Sub:- **Diversion of 1.5720 ha of forest land in favour of HPPWD for construction of Dandhal to Samrahan road upto Darni Ri Gahari (Kms 0/0 to 2/500), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, District Mandi, Himachal Pradesh.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HP/06/129/2017/FC/290 दिनांक 09/05/2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.5720** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें हैं :–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपरण प्रस्ताव के अनुसार Survey Sheet No. 53 E/2/NW, Thatta UF, Badar Block, Panarsa Forest Range में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 3.14 हे0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 2.5 है0 Survey Sheet No. 53 E/2/NW, Thatta UF, Badar Block, Panarsa Forest Range वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख–रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एस से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए एवं राज्य सरकार पेनल सी.ए. हेतु जमा राशि के एवज् में संशोधित पेनल सी.ए. स्कीम भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन कार्यालय को प्रेषित करें।
4. रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा।
5. The Final order is being issued as per the directions/ orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071,121109,130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N Godavarman Thirumulpad Vs. UoI & Ors.

Contd.2/-

SIFCA
APCCF(FCA) 9/3
PCCF (HoFF) 8/3/21

वती सं 5084
नांक 10/03/21

6. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/ स्टॉफ के लिये किसी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाऐगा।
8. प्रयोक्ता अभिकारण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/ कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
9. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप plantation जाएगी।
11. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
12. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 63 trees & 109 saplings से अधिक न हो।
13. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमाकंन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
14. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
15. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
16. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Contd.3/-

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 6 **-03-2021**
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4 The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5 The Deputy Commissioner, Mandi, Distt., Mandi, Himachal Pradesh.
6. DFO Mandi Forest Division Distt., Mandi H.P.
7 The Ex-Engineer PWD Mandi, Distt Mandi HP
8 Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 6-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

1

[redacted]

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
***

No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002, the 6 March, 2021

ORDER

Subject:- Diversion of 1.7989 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Link Road to Village Shara to Nadhoth (Kms. 0/00 to 2/270), within the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्याः 8बी/एच.पी./06/65/2016/206 दिनांक 03.05.2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 1.7989 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UPF-254 Bhanlog में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 3.60 है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढौतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

प्राप्ती सं 5082
दिनांक 10/03/21

S/FCA
APCCF(FCA) 9/3
PCCF(HoFF) 8/3/21

7. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां—जहां संभव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख—देख में स्ट्रिप plantation की जाएगी।

8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 536 trees & 194 saplings से अधिक न हो।

11. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख—रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा back bearing भी अंकित किया जाएगा।

12. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख—रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

13. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

14. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

(आर.डी. धीमान)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 6 March, 2021

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests. MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Shimla Forest Division, District Shimla, H.P.
7. The Executive Engineer, HPPWD, Shimla, District Shimla, H.P.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 6-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621871

❖❖❖❖❖